प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या : 805 /एनआरईजीएस–सेल–19ए/2008 दिनांक 02 जून–2008

विषय– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–839/38–7–2008–208–एनआरईजीए/08, दिनांक 2–4–2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यह संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कतिपय जनपदों में विकास खण्डों हेतु अभी भी कम्प्यूटर क्रय नहीं किये गये हैं जिसका प्रमुख कारण मुख्य विकास अधिकारी, एटा द्वारा यह अवगत कराया गया है कि क्रय हेतु आमंत्रित निविदाओं में निर्धारित शर्तों के अनुसार किसी भी निविदा दाता की टैक्निकल बिड अर्ह नहीं पायी गयी। अतः पुनः निविदायें आमंत्रित किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा भी ऐसी ही दिक्कतें बतायी गयी हैं।

उक्त तथ्यों के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा है कि यदि टेन्डर प्रक्रिया अपनाने के बाद कोई रिस्पोन्सिव टेन्डर नहीं आ रहा है, तो आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश संख्या–8/78– आईटी–2–2001, दिनांक 12–9–2001 एवं संख्या–785/78–2–2007–25–आईटी/2001, दिनांक 25–8–2004 तथा समय समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों तथा स्टोर परचेज नियमों के अधीन किये जाने वाले क्रय के प्राविधानों के अनुसार शासकीय एजेन्सियों से कम्प्यूटर क्रय किये जाएं।

उपरोक्तानुसार विकास खण्डों के लिए कम्प्यूटर क्रय की कार्वावाही शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें ताकि योजना के अनुश्रवण हेतु एम.आई.एस. का संचालन प्रारम्भ किया जा सके।

भवदीय,
Manoj 2.6.08
(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

संख्या : /एनआरईजीएस–सेल–19ए/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0शासन।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

(अनुराग यादव)
अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।